

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर०ए०एस०  
मुकदमा नम्बर - 285/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

- 1- बसन्त पिता लक्ष्मण सिंह चौधरी निवासी 105 मेन सेक्टर शास्त्री नगर, भीलवाड़ा  
2- भवानी शंकर पिता विमल कुमार अरोड़ा निवासी 18/167 सिरकी मौहल्ला महिला आश्रम के पास भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

## बनाम

- 1-2 हफीज, याकूल, पिता अकबर खां कायमखानी निवासी भीमपुरा तहसील बनेड़ा।  
3- अलादी बानु पत्नी अकबर खां कायमखानी निवासी भीमपुरा तहसील बनेड़ा।  
4- नजीर खां पिता लाब्दी खां कायमखानी निवासी भीमपुरा तहसील बनेड़ा।  
5-8 मदन, गोपाल, बरदी, लादी पिता होक्मा माली निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।  
9- कैलाश चन्द्र पिता शंकर लाल ब्राह्मण निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।  
10- आशा पत्नी अनिल ब्राह्मण निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।  
11-13 कान्ता, जगदीश, जशोदा पिता शंकरलाल ब्राह्मण निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।  
14-15 दिनेश, नरेश पिता भंवर लाल ब्राह्मण निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।  
16-17 प्रवेश, प्रशान्त पिता अनिल ब्राह्मण निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।  
18- प्रियंका पिता संजय ब्राह्मण निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।  
19- पुष्पा देवी पत्नी भंवर लाल ब्राह्मण निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।  
20-22 पियुष, ममता, महेश पिता भंवर लाल ब्राह्मण निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।  
23- रतन पिता शंकर लाल ब्राह्मण निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।  
24- राहुल पिता संजय ब्राह्मण निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।  
25- रिया पिता संजय ब्राह्मण निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।  
26- विनोद पिता शंकर लाल ब्राह्मण निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।  
27- सविता पत्नी संजय ब्राह्मण निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।  
28- तहसीलदार बनेड़ा।



—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
अधिवक्ता प्रार्थी:- विशाल कुमार डांगी

## निर्णय

दिनांक :- 05/04/2024

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बामणिया पटवार हल्का बामणिया भूअ. निरीक्षक क्षेत्र सरदारनगर तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 340 के आराजी नम्बर 1963/1882, 1980/1413 कुल कित्ता 02 रकबा 1.4038 है० भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित

✓

तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया ग्राम बामणिया पटवार हल्का बामणिया भूअ.निरीक्षक क्षेत्र सरदारनगर तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 340 के आराजी नम्बर 1963/1882, 1980/1413 कुल किता 02 रकबा 1.4038 है 0 भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

## // आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम बामणिया पटवार हल्का बामणिया भूअ.निरीक्षक क्षेत्र सरदारनगर तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के खाता सं. 340 के आराजी नम्बर 1963/1882, 1980/1413 कुल किता 02 रकबा 1.4038 है 0 भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भूअ.निरीक्षक सरदारनगर को 600/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावे अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रकरण मौके पर जमा करावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भूअ.निरीक्षक सरदारनगर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 05-04-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर



(श्रीकान्त व्यास)  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा जिला शाहपुरा